International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 5; September 2017; Page No. 938-947

ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण साख में बैंक की भूमिका : पंजाब नैशनल बैंक का एक अध्ययन

सरोज
शोधकर्त्री, लोक प्रशासन विभाग, चौ0 देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा, हरियाणा, भारत।

प्रस्तावना

भारत ग्रामीण समाज प्रधान देश है। जहां तीन चौथाई जनसंख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, और उनकी आजीविका का आधार कृषि एवं ग्रामीण कुटीर उद्योग है। भारत में ग्रामीण जीवन इसकी मूल विशिष्टता बन चुका है। इस सन्दर्भ में महात्मा गांधी का यह कहना है कि भारत गांवों में बसता है। अतः गांवो का विकास ही सच्चे अर्थों में भारत का विकास होगा न केवल सार्थक है बल्कि आधुनिक भारत में निर्माण का प्रमुख केन्द्र बिन्दु है। चूंकि भारत की अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है व इसका प्रमुख व्यवसाय खेतीबाडी एवं इससे सम्बन्धित कार्य है। अतः भारत मूलतः एक कृषि प्रधान देश है व कृषि भारत का आर्थिक आधार है एवम् सभी प्रमुख उद्योगों को यह कच्चे माल की आपूर्ति करता है अतः भारत के ग्रामीण विकास को मुख्यत कृषि सुधार व कृषि विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।[1]

ग्रामीण ऋणः एक परिचय

भारत में अधिकांश कृषक–परिवारों के लिए ऋणग्रस्तता एक अविरल समस्या बनी हुई है, क्योंकि भारतीय कृषि एक मात्र आजीविका का साधन है और वह भी अत्यन्त कम उत्पादकता और जोखिमपूर्ण होने के कारण घाटे की अर्थव्यवस्था का स्वरूप धारण कर लेती है। ऋणग्रस्तता कृषक परिवारों में इसलिए है, क्योंकि कृषि उपज का स्तर अत्यंत नीचा है। फलतः किसानों का आय स्तर नीचा है जिससे वे अपनी उपभोग एवं उत्पादन–संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें ऋण लेना पडता है। जब तक कृषकों की आय में वृद्धि नही होगी जो व्यापक जनसमूह के लिए अभी तक सम्भव नही हो सकी है, तब तक कृषक ऋणग्रस्त ही रहेंगे। शायद इसी आधार पर शाही कृषि आयोग ने अनुमान लगाया कि ''भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में ही जीवन व्यतीत करता है, ऋण में मर जाता है और ऋण का भार अपने उतराधिकारियों पर छोड जाता है।'' वास्तव में इस ऋणग्रस्तता का गहरा सम्बन्ध कृषकों की आर्थिक स्थिति व उनके निम्न आय–स्तर से है। ऋणग्रस्तता को दूर करने का संतोषजनक उपाय तभी हो सकता है जबकि कृषकों का स्तर बढाया जाए और भारतीय कृषि का स्वरूप निर्वाह–मात्र क्षेत्र से उन्नत कृषि में परिवर्तित किया जाए। भारतीय कृषकों की ऋणग्रस्तता का अनुमान लगाने का समय–समय पर प्रयत्न किया गया है।[2]

1875 ई. में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का अनुमान लगाने का सर्वप्रथम प्रयास डेकन रैयत्स आयोग द्वारा किया गया। इसका अनुमान था कि देश के प्रायः एक–तिहाई किसान ऋणग्रस्त थे तथा प्रति किसान ऋण का औसत 37.1 रूपये था। 1911 में मैकलेगन ने भारतीय कृषकों की ऋणग्रस्तता का अनुमान 300 करोड रूपये लगाया था। श्री एम.ए. डार्लिंग ने पंजाब के ग्रामीण ऋण के आधार पर सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए ग्रामीण ऋण का अनुमान 600 करोड रूपये लगाया था। केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति के अनुसार, 1930 में ग्रामीण ऋणग्रस्तता 900 करोड रूपये के लगभग थी। 1935 में डॉ0 राधाकमल मुखर्जी और पी.जे. टामस ने 1200 करोड रूपये बतलाया। 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कृषि साख विभाग ने ग्रामीण ऋण की मात्रा का अनुमान 1800 करोड रूपये बताया। 30 जून 1962 को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के अनुमान भारत में 2779 करोड रूपये ग्रामीण ऋण का अनुमान लगाया गया, अर्थात लगभग 75 प्रतिशत किसान ऋणग्रस्त थे। वास्तव में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हुई है। अतएव ग्रामीण ऋणग्रस्तता में कमी होना वांछित था। परन्तु उत्पादन लागत में वृद्धि होने, अभिनवीकरण एवं नवीन तकनीक के लाभों के कुछ लोगों या वर्गों तक ही सीमित रह जाने के कारण अतिनिम्न एवं मध्यम श्रेणी के कृषकों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। सीमान्त कृषकों एवं मजदूरों की स्थिति में और भी ह्रास हुआ है। 2001 में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उतरप्रदेश को छोडकर अन्य क्षेत्रों में लगभग 70 प्रतिशत किसान और उडीसा, मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश के काफी बडे भाग में लगभग 90 प्रतिशत किसान कर्ज के भार से दबे हुए है। सम्पूर्ण भारत में ग्रामीण श्रमिक परिवारों में से 66 प्रतिशत परिवार ऋणी हैं।[3]

ऋण हेतु साखः एक परिचय

आधुनिक युग में साख मुद्रा का अत्यधिक महत्व हो गया है। सम्भवतः इसीलिए कुछ आधुनिक अर्थशास्त्री वर्तमान मुद्रा व्यवस्था को साख मुद्रा अर्थव्यवस्था के नाम से सम्बोधित करते है। अन्य कुछ अर्थशास्त्री साख को आधुनिक युग में पूंजी हस्तांतरण का एक साधन कहते है। वाल्टर डब्ल्यू हैनेस का कथन है कि, ''व्यापारिक जगत में साख का उतना ही व्यापक महत्व है जितना जीवन में हवा का।'' स्पष्ट है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था केवल मुद्रा अर्थव्यवस्था की परिधि में ही बन्द नहीं है। वरन् साख व्यवस्था का भी आर्थिक क्रियाओं के सम्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है।[4]

साख शब्द की उत्पति लेटिन के Credo शब्द से हुई है Credo शब्द का अर्थ है 'I believe' अर्थात मैं विश्वास करता हूं। इसीलिए अंग्रेजी के शब्द का सम्बन्ध विश्वास से है। इस प्रकार साधारण बोलचाल में साख शब्द का प्रयोग विश्वास के अर्थ में किया जाता है। उदाहरण के लिये, यदि किसी व्यापारी या व्यक्ति का बाजार में इतना विश्वास किया जाता है कि लोग उससे उधार का लेन–देन करने को तैयार है तो यह कहेंगे कि बाजार में उस व्यक्ति की साख बहुत अधिक है।[5] वास्तव में, आर्थिक दृष्टि से साख का अर्थ किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का भुगतान भविष्य में करना है। विभिन्न विद्वानों द्वारा साख की परिभाषाएं दी गई हैं, उनमें से

निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैः–

- **विगफील्ड स्ट्रेटफार्ड** के अनुसार, साख का अभिप्राय केवल विश्वास होता है।
- **प्रो0 कोल** के अनुसार, साख उस क्रय शक्ति को कहते हैं जो आय के द्वारा प्राप्त नही होती बल्कि वैतिक संस्थाओं द्वारा उस जमा का जो उनके पास रखी होती है, उपभोग करने के उद्धेश्य से उत्पन्न की जाती है।
- **प्रो0 जीड़** के अनुसार, साख एक ऐसा विनियम कार्य है जो कुछ समय पश्चात् अर्थात् भुगतान कर देने पर पूरा हो जाता है।
- **प्रो0 थॉमस** के विचार से, साख वह विश्वास है जो एक व्यक्ति दूसरे अन्य व्यक्ति में रखकर अपनी कुछ वस्तुएं उस दूसरे व्यक्ति को देता है, चाहे ये वस्तुएं मुद्रा, सेवा या साख ही क्यों न हो।
- उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि ''साख एक प्रकार का विनियम कार्य है, जिसमें कोई ऋणदाता किसी ऋणी को वर्तमान समय में कुछ वस्तुएं अथवा मुद्रा इस विश्वास पर प्रदान करता है कि कुछ समय बाद वह उसे वापिस कर देगा।''[6]

ऋण हेतु साखः प्रकार

साख अनेक प्रकार की होती है। साख के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवेचन निम्न प्रकार हैः–

- **स्त्रोत के अनुसारः–** यह वर्गीकरण ऋणदाताओं के आधार पर किया जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैः–

  व्यक्तिगत साखः– यह साख किसी व्यक्ति द्वारा अपने जान पहचान वालों को सामाजिक सहायता के रूप में, ऋण या उधार के रूप में दी जाती है। इस ऋणदाताओं का प्रमुख कार्य ऋण देना नहीं होता, वरन् सहायता करना होता है। इस श्रेणी के अन्तर्गत समान्यतः फुटकर ऋण देने वालों जैसे सरकार, जमींदार, या अन्य वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है।

  व्यावसायिक साखः– यह साख व्यावसायिकों के द्वारा अपनी सेवाओं या वस्तुओं के रूप में दी जाती है जैसे वकील, डाक्टर, व्यापारी आदि।

  संस्थागत साखः– संस्थागत साख का आशय वितीय संस्थाओं जैसे बैंक व बीमा कम्पनी, प्रमण्डलों, वित निगमों आदि द्वारा दी जाने वाली साख से है।

- **उद्धेश्य के अनुसारः–** साख के उद्धेश्य के अनुसार वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

  उत्पादक साखः– ऐसी साख जिसका प्रयोग उत्पादक कार्यों के लिए किया जाता है, उत्पादक साख कहलाती है। उदाहरण के लिए व्यवसाय एवं उद्योग के लिए दिये जाने वाले ऋण आदि। इस साख की राशि को व्यवसाय एवं उद्योग में प्रयुक्त कर उत्पादन तथा धन अर्जन किया जाता है अतः इसे उत्पादक साख कहते है।

  अनुत्पादक साखः– जब साख का प्रयोग अनुत्पादक कार्यों के लिए किया जाता है जैसे शादी, उत्सव, दैनिक उपयोग की सामग्री क्रय करने आदि में, तो ऐसी साख को अनुत्पादक साख कहते हैं।

- **कार्य के अनुसारः–** कार्य के अनुसर साख निम्न पांच प्रकार की होती हैः–

  औद्योगिक साखः– ऐसी साख जिसका प्रयोग औद्योगिक विकास के लिए किया जाता है उसे औद्योगिक साख कहते है।

  वाणिज्यिक साखः– व्यापार में कार्यों के संचालन के लिए वाणिज्यिक संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली साख को वाणिज्यिक साख कहा जाता है।

  कृषिगत साखः– जब साख का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है तो इसे कृषि साख कहते है।

  उपभोक्ता साखः– जब साख उपभोक्ता कार्यों जैसे शादी, भोज एवं अन्य सामाजिक उत्सवों के लिए प्रदान की जाती है, तो उसे उपभोक्ता साख कहते है।

  निर्यात साखः– आयात–निर्यात व्यापार के लिए प्रदान किये जाने वाले ऋणों को निर्यात साख के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।

- **प्रतिभूति के अनुसारः–** प्रतिभूति के अनुसार साख निम्न दो प्रकार की होती हैः–

  सुरक्षित साखः– ऐसी साख जिसे प्राप्त करते समय ऋणी साख के पीछे कोई प्रतिभूति छोड़ता है, सुरक्षित साख कहते है।

  असुरक्षित साखः– ऐसी साख जिसे प्राप्त करते समय ऋणी साख के पीछे कोई प्रतिभूति नहीं छोड़ता असुरक्षित साख कहते है।

- **ऋणी के अनुसारः–** ऋणी के अनुसार साख निम्न दो प्रकार की होती हैः–

  सरकारी ऋणः– जब साख सरकार को प्रदान की जाती है तो उसे सरकारी साख कहते है। प्रायः सरकार द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों का क्रय इत्यादि द्वारा यह साख सरकार को प्रदान की जाती है।

  गैर–सरकारी साखः– सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को प्रदान की जाने वाली साख को गैर सरकारी साख कहते है।

- **अवधि के अनुसारः–** पुनः लौटाये जाने की अवधि के आधार पर वर्गीकृत साख को अवधि साख कहते है। प्रायः साख प्रदान करते समय उसे लौटाने की अवधि का भी निर्धारण कर दिया जाता है। अवधि के अनुसार साख निम्न चार प्रकार की होती हैः–

  मांग साखः– ऐसी साख जो अत्यन्त ही अल्प समय के लिए प्रदान की जाती है, मांग साख कहलाती है। सामान्यतः इसकी अवधि एक–दो दिन अथवा एक सप्ताह होती है तथा मांग पर देय होता है।

  अल्पकालीन साखः– अल्पकाल के लिए प्रदान किए जाने वाले ऋणों को अल्पकालीन साख कहते है। इसकी अवधि सामान्यतः 6 माह तक होती है।

  मध्यकालीन साखः– मध्यकालीन साख की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष तक होती है।

  दीर्घकालीन साखः– यह साख अधिक लम्बी अवधि की होती है, इसकी अवधि 20 वर्ष या इससे भी अधिक हो सकती है।

साख नियमनः रिजर्व बैंक नीति

केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का उद्धेश्य मुद्रा निर्गमन के साथ–साथ देश की साख व्यवस्था को भी नियमित एवं नियन्त्रित करना है। डी. काक के अनुसार, ''साख नियन्त्रण ऐसा कार्य है जिसके अन्तर्गत बैंकिग नीति के महत्वपूर्ण पक्ष आ जाते है तथा व्यावहारिक रूप में इससे सभी अन्य कार्य जुड़े हुए और एक सम्मिलित उद्धेश्य की प्राप्ति कराते है।'' साख नियमन्त्रण के कार्य द्वारा केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीति के तीन उद्धेश्यों, रोजगार के स्तर पर आर्थिक स्थायित्व का प्रयास करता है। रिजर्व बैंक द्वारा साख नियन्त्रण की निम्न दो प्रकार की विधियां अपनायी जाती है।[7]

- सामान्य या मात्रात्मक विधियां

  a) बैंक दर नीति

b) नकद कोषानुपात में परिवर्तन
c) तरल कोषानुपात में परिवर्तन
d) खुले बाजार की क्रियाएं

- विशिष्ट या गुणात्मक विधियां
  a) साख की राशनिंग
  b) नैतिक दबाव
  c) प्रचार एवं प्रत्यक्ष कार्यवाही
  d) चयनात्मक साख नियन्त्रण

ग्रामीण साखः बहु–एजेंसी दृष्टिकोण
हमारे देश में ऋण वितरण के लिए बहु–एजेंसी दृष्टिकोण गांव व शहरों में बढ़ती हुई साख की मांग को देखते हुए अपनाया गया था। एक लम्बे समय तक सहकारी समितियां ही ग्रामीण क्षेत्र में साख की आवश्यकता की पूर्ति करती रही थी। लेकिन एक बहुत बडी मात्रा में लोगों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति नही हो सकी थी। योजना आयोग के एक अनुमान के अनुसार 1999 तक केवल कृषि क्षेत्र के लिए 36,480 करोड रूपए के संस्थागत ऋणों की आवश्यकता थी।

इतनी बृहद मात्रा में लक्ष्यों को देखकर यह सोचना निश्चित था कि कोई भी एक एजेंसी इन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकती है। अतएव एक से अधिक एजेंसियों के विकास की आवश्यकता महसूस की गई। सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों के साथ–साथ वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने लगे। शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई।

बहु–एजेंसी के दृष्टिकोण से दो प्रकार की संस्थाऐं होती है– एक शीर्ष स्तर पर जो प्रवर्तक वितीय साधनों की पूर्ति, तकनीकी सहायता एवं विभिन्न इकाइयों का मार्गदर्शन करती है। दूसरी सूक्ष्म स्तर पर कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है एवं प्रत्यक्ष रूप से वितीय सहायता प्रदान करती है। ग्रामीण साख के क्षेत्र में इनके संगठनात्मक स्वरूप को निम्न तालिका में दर्शाया जा सकता हैः–

कृषि एंव ग्रामीण क्षेत्र

शीर्ष स्तर	सूक्ष्म स्तर
▪ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	▪ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक
▪ सहकारी बैंक	▪ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाऐं
▪ भूमि विकास बैंक	▪ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
▪ राष्ट्रीय आवास बैंक	▪ भूमि विकास बैंक की शाखाऐं
▪ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	▪ आवास वित कम्पनियां

ग्रामीण साख : सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण
बहु–एजेंसियां साख वितरण प्रणाली की एक सबसे बडी कमी यह थी कि ऋणी एक से अधिक वितीय संस्थाओं अथवा बैंकों से ऋण प्रदान करने में सफल हो जाता था क्योंकि ऋण वितरण प्रणाली पर इस प्रकार के आंकडों अथवा सूचना का सर्वधा अभाव था जिससे यह पता लगाया जा सके कि एक संस्था विशेष द्वारा क्षेत्र में किन व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसका अप्रत्यक्षरूप से यह प्रभाव था– क. आवश्यकता से अधिक ऋण वितरण, ख. ऋण सहायता का दुरूपयोग, ग. ऋण वसूली पर विपरीत प्रभाव।

अतः ऋण वितरण की बहु–एजेंसी प्रणाली पर कुछ सीमा में अंकुश लगाने के लिए सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। रिजर्व बैंक की जनवरी, 1998 की एक गोष्ठी में यह सुझाव दिया गया कि विभिन्न बैंक शाखाओं के मध्य गांव को विभाजित कर दिया जाए। विभाजित गांव केवल आवंटित बैंकों के माध्यम से ऋण सहायता प्राप्त कर सकेंगे। डॉक्टर पी0डी0 ओझा डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक की उक्त सिफारिशों के आधार पर सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ। इस योजना की मुख्य विशेषताऐं इस प्रकार हैः–

- प्रत्येक बैंक शाखा के अन्तर्गत उसकी कार्यपरिधि के आसपास 15–25 गांव एक विशेष शाखा को आवंटित किये जायेंगे।
- यह बैंक शाखा अपने आवंटित सेवा क्षेत्र का सर्वे कर क्षेत्र में आर्थिक कार्यक्रमों की सम्भावना का पता लगायेगी।
- सम्बन्धित शाखा सर्वे के आधार पर ऋण वितरण ग्रामवार शाखा योजना तैयार करेगी।

उदारीकरण प्रक्रियाः ग्रामीण साख को नयी दिशा
1991 में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में नयी आर्थिक नीति तैयार की गयी एवं बहुत सी नीतियों में आधारभूत परिवर्तन किए गए थे। ग्रामीण एवं कृषि विकास की दिशा में भी बहुत से कदम उठाए गए जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित सम्मलित हैः–

- ऐसी कृषि निवेश की क्रियाओं को उच्च प्राथमिकता दी जाए जो नयी तकनीक से जुडी हो ताकि उत्पादन की उच्च दर को प्राप्त किया जा सके।
- कुछ बैंकों ने उच्च तकनीक शाखाओं का विकास किया जो पूर्णरूप से तकनीक कृषि प्रोजेक्टों का मूल्यांकन करेगी।
- रिजर्व बैंक ने ग्रामीण शाखा नीति को और सरल बनाया एवं बैंकों को शाखा विस्तार की स्वतन्त्रता प्रदान की।
- कृषि निर्यातों को प्राथमिकता प्रदान की गयी।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और सक्षम बनाया गया ताकि वे ग्रामीण विकास में अधिक योगदान कर सकें।
- खाद्य फसल, तिलहन, कपास, मुर्गीपालन, गन्ना उपादन, डेयरी, एक्वाकल्चर, बागान आदि किसानों को प्राथमिकता प्रदान की गयी।[8]

बैंक–एक अवधारणा
बैंक शब्द का प्रयोग अति प्राचीन समय से हो रहा है। यद्यपि प्राचीन काल में वर्तमान की तरह बैंक नहीं थे, तथापि अनेक देशों में बैंकिग कार्य महाजन, सुनार और सर्राफ आदि द्वारा सम्पन्न किया जाता था। यह कहा जाता है कि बैंक शब्द का प्रादुर्भाव इटली के शब्द बैंकों से हुआ है, अथवा फ्रेंच के शब्द बैंके से हुआ है, जिसका अर्थ बैंच होता है। चूंकि प्रारम्भ में कुछ लोग बैंचों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन का कार्य करते थे, अतः उन्हें बैंको कहा जाता था। कालान्तर में यह शब्द परिवर्तित होकर बैंक हो गया और मुद्रा एवं साख में व्यवहार करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए प्रयोग किया जाने लगा। एक अन्य विचार के अनुसार बैंक शब्द का प्रादुर्भाव जर्मन भाषा के शब्द से हुआ जिसका अर्थ सम्मिलित स्कन्ध कोष होता है।[9]

बैंकः विकास परिचय
बैंकिग एक अति प्राचीन व्यवसाय है। यद्यपि प्राचीन काल में आज जैसे बैंक नहीं थे, तथापि अनेक देशों में बैंकिग कार्य महाजन, सुनार और सर्राफ आदि द्वारा किया जाता था। ईसा से 2000 वर्ष पूर्व बेबीलोन में साख के लेन–देन प्रचलित थे। प्रारम्भिक बैंकिंग के प्रमाण, फोनीसिया और मिश्र के इतिहास को देखने से मिलते है। उदाहरणार्थ, सिक्का ढलाई के युग से पूर्व ग्रीस में देवता डल्फी के

मन्दिर और अन्य सुरक्षित स्थान बहुमूल्य धातुओं के भण्डार गृहों के रूप में इस्तेमाल किये जाते थे। बाद में यहां निजी और सार्वजनिक कामों के लिए धन ब्याज पर उदारतापूर्वक दिया जाने लगा। ग्रीस की भांति प्राचीन रोम में भी बैंकिग का पर्याप्त विकास हुआ।

प्राचीन भारत में राजा महाराजाओं, नवाबों अथवा विभिन्न वर्गों के शासकों के समय–समय पर उधार लेने की आवश्यकता होती थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह अपने राज्यों में साहुकारों को बसाते थे, उन्हें भूमि देते थे, तथ अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते थे। यहां सेठ–साहूकार लोग जनता से भी रकम जमा कर लेते थे और आवश्यकता पड़ने पर किसानों तथा अन्य व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करते थे। ये व्यक्ति ही उस समय के बैंकर कहे जा सकते है।

आधुनिक बैंकिग का शुभारम्भ सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ माना जाता है जबकि सन् 1609 में Bank of Amesterdom सन् 1619 में ठंदा of Hamburg और सन् 1694 में ठंदा of England स्थापित हुए।[10] धीरे–धीरे बैंकों का आर्थिक महत्व बढ़ता गया और संयुक्त पूंजी वाले बैंक स्थापित किये जाने लगे। इससे विकास की गति तेज हो गयी।

बैंकिग शब्द की उत्पति

बैंक शब्द का प्रयोग एक लम्बे समय से होता आ रहा है। इस शब्द की उत्पति इटालियन भाषा के शब्द बैंकों से हुई मानी जाती है, जो फ्रेंच भाषा के शब्द बैंके में बदलता हुआ अंग्रेजी भाषा में बैंक हो गया है। बैंकों का अभिप्राय बैंच से है। पहले जमाने में कुछ लोग बैंचो पर बैठकर मुद्रा का लेन–देन करते थे। जब उनमें से किसी का व्यापार बन्द हो जाता, तब उसकी बैंच को तोड दिया जाता था। इसी से कालान्तर में 'बैंक' शब्द की उत्पति जर्मन भाषा बैंक शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य 'मिले जुले' या 'शामिलाती' या 'संयुक्त स्कन्ध' कोष से है। मैकलिओड के अनुसार, बैंक शब्द की उत्पति के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है, परन्तु यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि आधुनिक बैंकों का आरम्भ यूरोप से हुआ और बाद में ये शनैः शनैः सारी दुनिया में फैल गये।[11] बैंक शब्द की परिभाषा को निम्न के शब्दों में बताया गया हैः–

गिलबर्ट के अनुसार ''बैंक पूँजी अथवा सही शब्दो में, मुद्रा का व्यवसाय है।'' इसका तात्पर्य यह है कि बैंक उधार देने वालों तथा उधार लेने वालो के बीच की एक कड़ी है क्योंकि वह कुछ व्यक्तियों से रकम जमा कर अन्य व्यक्तियों को उधार देता है।

सर जॉन पैजट के अनुसार ''वह व्यक्ति अथवा संस्था बैंक या बैंकर कहलाने का अधिकारी है जो ये कार्य करती होः स्थायी जमा स्वीकार करना, चालू जमा प्राप्त करना, चैक लिखना तथा उनका भुगतान करना, ग्राहकों से प्राप्त चैकों का संग्रह करना।

किनले के अनुसार, बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को मुद्रा उधार देती है जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है और जिसके पास व्यक्तियों द्वारा अपनी अतिरिक्त मुद्रा जमा की जाती है।

फिण्डले शिराज के मतानुसार, बैंकर उस व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी को कहा जाता है जिसके पास कोई ऐसा व्यापारिक स्थान हो जहां मुद्रा अथवा करैंसी की जमा द्वारा साख का निर्माण कार्य किया जाता हो और जिसकी जमा का ड्राफट, चैक या आदेश द्वारा भुगतान किया जाता हो या स्टॉक, बॉण्ड, धातुओं को विपत्रों पर मुद्रा उधार दी जाती हो, अथवा जहां प्रतिज्ञा पत्र बेचने के लिए स्वीकार किए जाते हो।[12]

पंजाब नैशनल बैंकः एक परिचय

देश के सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों में अपनी मौजूदगी के साथ, पंजाब नैशनल बैंक विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिनमें निगमित एवं वैयक्तिक बैंकिग, औद्योगिक वित्त, कृषि वित्त, व्यापारिक वित्त एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग शामिल है। बैंक के ग्राहकों में बहु व्यावसायिक कम्पनियां, मध्यम एवं लघु औद्योगिक इकाइयां, निर्यातक, अनिवासी भारतीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियां शामिल है। व्यापक शाख तंत्र तथा संसाधनों के आधार के कारण बैंक ने व्यापक और उद्योग में मजबूत संबंध स्थापित किए है।[13]

पंजाब नैशनल बैंक की स्थापना 1895 में लाहौर में हुई थी। बैंक ने अपना कारोबार 03 लाख रूपये की प्राधिकृत पूंजी एवं 20000रू. की कार्यशील पूंजी से शुरू किया। बैंक की स्थापना लाला लाजपतराय जैसे दूरदृष्टा एवं देशभक्तों, जिन्होंने भारत की आजादी एवं आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान दिया, के द्वारा की गई थी।

पंजाब नैशनल बैंकः एक रूपरेखा

बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके 18 आंचलिक कार्यालय हैं जिनके अंतर्गत 56 क्षेत्रीय कार्यालय है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन शाखाएं कार्य करती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए शक्तियों के प्रयोजना का विकेन्द्रीकरण शाखा स्तर पर किया गया है।

पंजाब नैशनल बैंक के 6312 कार्यालय है जिनमें 1049 विस्तार पटल शामिल है। यह राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। हाल ही में एक प्रमुख वित्तीय दैनिक समाचार पत्र दि–इकानॉमिक टाइम्स ने बैंक को 500 सर्वोच्च कम्पनियों में 21वॉ स्थान दिया है।[14] पंजाब नैशनल बैंक द्वारा सर्वोत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए जा रहे प्रयासों को दि–इकानॉमिक टाइम्स–ए.सी. नील्सन सर्वे ने भारत के सर्वोत्तम 50 अत्यन्त विश्वसनीय सेवा ब्रांडों में 9वां स्थान दिया है। दि–बैंक लंदन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में पीएनबी का 24 वां स्थान है।

पंजाब नैशनल बैंक सम्पूर्ण विश्व में 200 से अधिक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ सुदृढ़ बैंकिंग संबंध बनाए हुए है जिससे इस के विश्वव्यापी लेन–देनों को निपटाने की क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, बैंक की खाडी में 15 विनिमय कम्पनियों तथा सिंगापुर में एक विनिमय कम्पनी के साथ रूपया आहरण व्यवस्था है। बैंक स्विफट का सदस्य है तथा इसकी 150 से अधिक शाखाएं मुम्बई स्थित कम्प्यूटर आधार टर्मिनल के माध्यम से जुडी हुई है। अत्याधुनिक डीलिंग कक्ष और अत्यन्त प्रशिक्षित डीलरों के साथ बैंक भारत में प्रभावशाली विदेशी मुद्रा लेन–देन कर रहा है।

पीएनबी देश में व्यक्तिगत एवं कार्पोरेट दोनों वर्गों को इंटरनैट बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। सीबीएस नेटवर्क से जुडी समस्त शाखाओं के माध्यम से इंटरनेट बैंकिग सेवाए उपलब्ध कराई जा रही है। उपभोक्ता को पीसी के माध्यम से 24 घंटे, 365 दिन इंटरनैट बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध है। इंटरनैट बैंकिंग में किसी भी समय, कही भी खाने पर पहुंच, लेन–देन का पूर्ण ब्यौरा और खाते का विवरण, ऑन लाइन जमाराशियों की जानकारी, ऋण, अधिविकर्ष आदि जैसी विश्वस्तरीय बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध है। पीएनबी ने अभी हाल ही में आईआरसीटीसी भुगतान गेटवे प्रोजेक्ट के माध्यम से रेलवे आरक्षण हेतु ऑन लाईन भुगतान सुविधा तथा ऑन लाईन यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाएं प्रारम्भ की है जिससे इंटरनैट बैंकिंग खाताधारक अपने टेलिफोन, मोबाईल, बिजली, बीमा तथा अन्य बिलों का भुगतान अपने डेस्क टॉप से किसी भी समय कही भी कर सकते है।

पीएनबी ने अपने ग्राहकों की बदलती आकांक्षाओं के मदेनजर डेबिट कार्ड प्रारम्भ किया है, जोकि एटीएम कार्ड भी है। ये कार्डधारक देशभर में लाखों व्यापारिक प्रतिष्ठानों से खरीदारी कर सकते हैं तथा सेवाएं प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त, इस कार्ड का उपयोग पीएनबी के हजारों एटीएम के साथ–साथ अन्य बैंकों के साथ की गई व्यवस्था के अंतर्गत 30000 से अधिक एटीएम, जहां माइस्ट्रो लोगो प्रदर्शित हैं, से नकदी निकालने के लिए भी किया जा सकता है।

बैंकों के 1969 में राष्ट्रीयकरण के पश्चात, पंजाब नैशनल बैंक देश में एक मजबूत एवं बडे बैंकिंग संस्थान के रूप में उभरा है। बैंक की 6312 शाखाएं हैं जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में सर्वाधिक है, इनमें से ग्रमीण क्षेत्रों में 4096 शाखाएं एवं अर्धशहरी क्षेत्रों की शाखाओं की संख्या 2216 है। देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में पंजाब नैशनल बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही।[15]

बैंक अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति भी जागरूक है और कृषि और सहायक गतिविधियों व लघु उद्योगों को वित्त प्रदान कर रहा है। लघु उद्योगों के महत्व को समझते हुए ऐसे उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु बैंक ने 41 विशिष्ट शाखाओं की स्थापना की है।

वर्ष 2016–17 के दौरान, पंजाब नैशनल बैंक ने अपने समकक्ष बैकों के मध्य, प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि एवं कमजोर वर्गों को अग्रिम उपलब्ध कराने में एनबीसी के क्रमशः 40 प्रतिशत, 18प्रतिशत व 10 प्रतिशत के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में अहम् भूमिका निभाई है। बैंक ने गत 12 वर्षों के दौरान विशेष कृषि ऋण योजनाओं के अंतर्गत नए ऋण संवितरणों के लक्ष्यों में लगातार वृद्धि की है। बैंक ने किसानों को 25 लाख से अधिक किसान ऋण कार्ड जारी किए है।

बदलते परिवेश के साथ बढ़ते हुए अपने ग्राहकों को बेहरत एवं तत्काल सेवा उपलब्ध कराने हेतु बैंक ने कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र मे पहल की है। बैंक ने अपनी सभी शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण कर दिया है।[16] सीबीएस के माध्यम से चार हजार से अधिक कार्यालयों में कहीं भी कभी भी बैंकिग सेवा उपलब्ध है।

पंजाब नैशनल बैंकः गुणवत्ता नीति

पंजाब नैशनल बैंक सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्ध (T.Q.M.) के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए निम्न गुणवता नीति[17] को अपनाए हुए हैः–

- ग्राहकों की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करना तथा ग्राहकों की सम्पूर्ण संतुष्टि के प्रयास।
- प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में हमेशा ग्राहकों का भरोसा और विश्वास जीतना।
- सभी कार्य क्षेत्रों में लगातार सुधार के जरिए श्रेष्ठता को बढ़ाना तथा अपनी सेवाओं की गुणवत्ता के जरिए अपनी अलग पहचान बनाना।
- बेहतर उत्पादों और लाभ के माध्यम से कार्य कुशलता बनाए रखना।
- ऐसे ढंग से काम करना कि प्रदान की गई बैंकिंग सेवाओं से हमारी श्रेष्ठता झलके और उससे बैंक की विश्वसनीयता एवं छवि में सुधार हो।

पंजाब नैशनल बैंकः विकास गौरव गाथा

अविभाजित भारत के लाहौर शहर में 1895 में स्थापित पंजाब नैशनल बैंक को ऐसा पहला भारतीय बैंक होने का गौरव प्राप्त है जो पूर्णतः भारतीय पूंजी से प्रारम्भ किया गया था। पंजाब नैशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण 13 अन्य बैंकों के साथ जुलाई, 1969 में हुआ। अपनी छोटी सी शुरूआत से आगे बढ़ते हुए पंजाब नैशनल बैंक आज अपने आकार तथा महत्ता में काफी आगे बढ़ गया है और वह भारत में प्रथम पंक्ति का बैंकिंग संस्थान बन गया है।

- व्यावसायिक सिद्धान्तों द्वारा संचालित ऐसा बैंक जिसकी सफलता का 110 वर्षों से अधिक का रिकार्ड है।
- भारत में शाखाओं की अधिकतम संख्या देशभर में फैले 6312 कार्यालय जिनमें 1049 विस्तार पटल है।
- प्रमुख कारोबारी क्षेत्र गांगेय प्रदेश और महानगरों में फैला हुआ है।
- बैंकर्स एलमैनेक, लंदन द्वारा बैंक को विश्व के सबसे बड़े बैकों की सूची में 248वॉ स्थान दिया गया है।
- विश्व के 217 से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ सुदृढ़ बैकिंग सम्बन्ध है।
- 50 से अधिक प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों ने पी.एन.बी. के साथ रूपया खाता रखा हुआ है।
- सुसज्जित व्यापारिक कक्ष विश्व के प्रमुख केन्द्रों में 25 विभिन्न विदेशी मुद्रा खातों को रखा जाता है।
- मै0 यूएई एक्सचेंज सैन्टर, यूएई, मैं0 अल फरदान एक्सचेंज कं., दोहा, कतर, मैं0 बहरीन एक्सचेंज कं., कुवैत, मैं0 बहरीन फाइनैंस कं., बहरीन, मैं0 थामस कुक एल रोस्टामनि एक्सचेंज कं., दुबई, यूएई तथ मै0 मुसन्दम एक्सचेंज, रूवी, सल्तन्त ऑफ ओमान से रूपया में आहरण सुविधा व्यवस्था।[18]

पंजाब नैशनल बैंक – सेवाएं

पंजाब नैशनल बैंक अपने उपभोक्ताओं को निम्न सेवाएं[19] प्रदान कर रहा हैः–

- **केन्द्रीयकृत बैंकिग समाधान (सीबीएस)** – सी.बी.एस. सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से परस्पर जुडी शाखाएं तथा सांझा आंकड़ों मंच भारतवर्ष में किसी भी शहर में सीबीएस द्वारा जुडी किसी भी शाखा में खाते के परिचालन की सुविधा देता है। अब उपभोक्ता केवल शाखा के ग्राहक न होकर बैंक के ग्राहक है।
- **ऑन लाइन कर भुगतान–** पीएनबी ऑन–लाइन सेवा माध्यम से सेवाकर, उत्पाद शुल्क, कस्टम शुल्क तथा एमसीए 21 के अन्तर्गत सभी प्रकार के प्रभावों के भुगतान की सुविधा देता है।
- **कॉरपोरेट इन्टरनेट बैंकिंग–** पीएनबी कॉरपोरेट इन्टरनेट बैकिग के माध्यम से ऑन–लाइन निधि अन्तरण, व्यापार वित प्रबंधन, निधि प्रबंध दुनिया भर में पहुंच, बेजोड फायदों के साथ उपलब्ध करवाता है।
- **12 घटें बैंकिग सेवाएं–** पीएनबी चुनिन्दा सीबीएस शाखाओं में 12 घंटे बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है।
- **ऑन लाइन शॉपिंग–** इस सुविधा द्वारा ग्राहक ऑन लाइन भुगतान करते हुए होटल का आरक्षण, उपहार खरीदना, पुष्प भेजना, पुस्तक खरीदना तथा अन्य बहुत सी गतिविधियों का संचालन कर सकते है।
- **एनआरआई सेवाए–** प्रवासी भारतीयों के लिए एनआई, एफसीएनआर, आरएफसी, एनआरओ खाते तथा निवेश प्रबन्धन।
- **रूपया आहरण व्यवस्था–** पीएनबी ने भा.रि. बैंक द्वारा अनुमोदित विश्वभर में स्थित विदेशी मुद्रा विनिमय गृहों से भारतीय रूपयों में विभिन्न धन विप्रेषणों के लिए ड्राफट जारी करने की व्यवस्था की है।
- **ऑन लाइन बिल भुगतान–** ग्राहकों को अपने बिल भुगतान के लिए कतार में प्रतीक्षा की जरूरत नहीं हैं। अब वे डेस्कटाप से 365 दिन 24 घण्टे कभी भी टेलीफोन, बिजली, बीमा तथा अन्य विविध बिलों का भुगतान कर सकते हैं।

- **रिटेल इंटरनेट बैंकिंग–** पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक खाते तक कभी भी कही भी ऑनलाइन पहुंच संभव है।
- **डेबिट कार्ड–** उपभोक्ता द्वारा पीएनबी ए.टी.एम मित्र के अन्तर्गत 2500 तथा एनएफएस के अन्तर्गत 8100 तथा भारतीय स्टेट बैंक के साथ 600 से अधिक द्वारा धन व्यय करने का समर्थ्य है तथा यह 150,000 प्रतिष्ठानों द्वारा स्वीकार्य है।
- **म्यूचुअल फंड तथा बीमा–** बैंक ने म्यूचुअल फंड तथा बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रिसिंपल फाइनेशियल ग्रुप के साथ टाई–अप किया है।
- **विदेशी विनियम–** पीएनबी की 184 शाखाएं विदेशी विनिमय कारोबार करने के लिए प्राधिकृत है तथा ये शाखाएं शीघ्र धन वसूली के लिए स्विफट कनैक्टीविटी से युक्त है।
- **ई–मनी इंडिया–** पीएनबी की ई–मनी इंडिया सेवा द्वारा भारत में अपने प्रियजनों को धन भेज सकता है। भारत में 5011 स्थानों पर ड्राफट डिलीवरी तथा 1900 से अधिक शाखाओं में बैंक क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध।
- **ऑन लाइन रेलवे आरक्षण–** अब लम्बी कतारों से विदाई। आईआरसीटीसी पेमेंट गेटवे द्वारा पीएनबी ऑनलाइन आरक्षण तथा सूचना प्रदान करता है।
- **डिपॉजिटरी सेवाए–** पीएनबी डिपॉजिटरी सेवाएं इलैक्ट्रानिक विधि से शेयरों तथा प्रतिभूतियों को डीमेट रूप में रखने तथा इनकी खरीद फरोख्त के सौदे निष्पादित करता है।
- **लॉकर्स–** ग्राहक अपने घर के नजदीक पीएनबी की शाखा में लॉकर प्राप्त करके ब्रेफ्रिक हो सकते हैं। लॉकर्स निःशुल्क दुर्घटना बीमे के साथ उपलब्ध है।
- **ऑन लाइन हवाई यात्रा टिकट आरक्षण–** पीएनबी अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा हवाई यात्रा के लिए ऑन लाइन टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान करता है।
- **ऑन लाइन ट्रेडिंग–** पीएनबी बचत/चालू खाता तथा डिपॉजिटरी खाताधारक ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रेडिंग सविधाएं प्रदान करता है।
- **मित्र एटीएम सुविधा–** 6 वाणिज्यिक बैंकों के साथ 2500 से अधिक साझे एटीएम ग्राहक एक एटीएम/डेबिट कार्ड से इस नेटवर्क को लाभ उठा सकते है।
- **कस्टमर केयर सुविधा–** केवल एक फोन कॉल पर ग्राहक सभी बैंकिग समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। पी.एन.बी. 24 घंटे कस्टमर केयर सुविधा प्रदान करता है। एमटीएनएल/बीएसएनएल से निःशुल्क फोन नं. 1800 180 2222 पर अथवा अन्य से 0124 234 0000 पर कॉल कर सकते है।

पंजाब नैशनल बैंकः ऋण व्यवस्था

पंजाब नैशनल बैंक सभी ग्राहकों को चाहे वह किसान हो या व्यापारी या फिर हो अधिकारी, सभी को निम्न प्रकार के ऋण[20] प्रदान करता हैः–

- **कार ऋण–** पीएनबी नयी/पुरानी कार, वैन या जीप खरीदने के लिए बहुत आकर्षक ब्याज दरों पर, अपनी सुविधानुसार चुनौती अवधि के विकल्प के साथ ऋण देता है।
- **दोपहिया वाहन के लिए ऋण–** युवा पीढी पर विशेष ध्यान देते हुए पी.एन.बी. दोपहिया वाहन के लिए ऋण देता है यह ऋण आकर्षक ब्याज दरों पर उपलब्ध है। ऋण की चुनौती का विकल्प ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते है।
- **स्वर्ण/आभूषणों पर ऋण–** व्यक्तिगत/व्यापारिक उद्यमों की कारोबारी तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए स्वर्ण तथा आभूषणों पर ऋण का प्रावधान है।
- **आवास ऋण–** अपने सपनों का घर बनाने के लिए ''फलैक्सी'' आवास ऋण प्राप्त करें तथा ब्याज घटक पर ठोस बचत का फायदा उठाये। आवास ऋण पाने वालों के लिए बीमा–सरंक्षण फलैट भी उपलब्ध है।
- **धरोहर धनराशि ऋण योजना–** प्लाट/फलैट/मकान पाने के लिए आवास बोर्ड आदि द्वारा धरोहर धनराशि की मांग को पूरा करने के लिए बैंक ऋण प्रदान करता है।
- **आवास ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिये ओवरड्राफट सुविधा–** सवंर्धित मूल्यों के साथ सेवाएं प्रदान करने की दिशा में पीएनबी अपने वर्तमान आवास ऋण लेने वाले ऋणियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ओवरड्राफट सुविधा प्रदान करता है।
- **पीएनबी ग्रामीण चिकित्सक–** आवश्यक अर्हता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टीशनर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में क्लीनिक स्थापित करने के लिये रियायती दरों पर वितपोषण करने की योजना।
- **सम्पति पर ऋण–** पीएनबी ने सम्पतिधारकों के लिए दो ऋण योजनाएं पेश की है। 1.अचल सम्पति के बंधक पर ऋण, 2. भावी पट्टे किराये पर ऋण।
- **आवास ऋण लेने वालों के लिए बीमा कवर–** आवास ऋण योजनाओं को और अधिक ग्राहकोन्मुखी बनाने के लिये पीएनबी आवास ऋण लेने वाले ऋणियों को बीमा सरंक्षण भी उपलब्ध करवाता है।
- **महिलाओं के लिए ऋण–** पीएनबी की महिला सशक्तिकरण तथा महिला समृद्धि योजना है जो महिला ग्राहकों में भरोसा तथा आत्म–सम्मान जागृत करने में सहायक है।
- **व्यापारियों के लिए ऋण–** थोक विक्रेता, डीलर, वितरक, व्यक्ति, फर्म, पंजीबद्ध सहकारी समितियां तथा कम्पनियां न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ तथा आकर्षक ब्याज दरों पर पीएनबी ट्रेडर्स ऋण ले सकते है। दुकानों/ शोरूम को खरीदने के लिए भी ऋण उपलब्ध है।
- **व्यक्तिगत ऋण–** इसमें शादी–ब्याह के लिए विवाह ऋण, टूर/ यात्रा के लिये पर्यटन ऋण तथा बिमारियों के इलाज के लिये आरोग्य ऋण आदि शामिल है।
- **शिक्षा ऋण–** भारत तथा विदेश में अध्ययन हेतु सर्वोतम शिक्षा तथा विद्यालक्ष्यपूर्ति योजना का लाभ उठा कर बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बना सकते है।
- **पेंशनरों के लिए ऋण–** पीएनबी भारत की पारम्परिक प्रथाओं का सम्मान करते हुए अपने वयोवृद्ध नागरिकों को विशेष लाभ प्रदान करता है।
- **सप्लाई चेन वितपोषण –** कम्पनियों के आपूर्तिकर्ताओं तथा विक्रेताओं दोनों के वित पोषण की सुविधा।

पंजाब नैशनल बैंकः ग्रामीण ऋण उपलब्धतता का प्रतिबिम्ब

पंजाब नैशनल बैंक ने किसानों को उनकी अल्पावधि तथा दीर्घावधि ऋण योजनाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न ग्रामीण साख योजनाएं प्रदान की है। ये सुविधाजनक ऋण योजनाएं विभिन्न कृषि तथा सहायक गतिविधियों जैसे कि कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई, परिवहन, वाहन, वनीकरण तथा बागवानी, बंजर भूमि विकास, मशरूम की खेती, एग्री क्लिनिक्स, एग्री बिजनैस एवं फसल उत्पादन के विकास में सुविधा प्रदान करना है। इसके अलावा, पंजाब नैशनल बैंक किसानों की उपभोक्ता ऋण जरूरतों को

निश्चित सीमा तक पूरा करने के लिए भी वित्त प्रदान करता है। ऋणियों की श्रेणीवार विभिन्न योजनाएं[21] इस प्रकार हैः–

(क) उत्पादन ऋणः–

- **फसलें उगाने के लिए कृड्ढकों को उत्पादन ऋण योजना (फसल ऋण):** निविटियों की खरीद, अर्थात बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाएं, कम्पोस्ट, डीजल, खाद इत्यादि के लिए आसान ऋण प्रदान करना। खेती के लिए दर्ज दखल अधिकार/पैतृक अधिकार के साथ भू–स्वामी, खेतीहर, किरायेदार, आवंटिती तथा भूमि स्वामी की सहमति से मौखिक किरायेदार इस योजना के अंतर्गत पात्र है।
- **किसानों को संमिश्र नकद ऋण सीमाः** उत्पादन उद्देश्यों के लिए अपेक्षित कृषि निविटियों की खरीद संमिश्र नकद ऋण सीमा दी जाती है। इसमें उपभोक्ता जरूरतें जैसे की चिकित्सा, शिक्षा, शादी–व्यय इत्यादि भी सम्मिलित है। सभी किसान जो कृषि भूमि के स्वामी है, इस योजना के लिए पात्र है।
- **उत्पादन (मार्केटिंग) ऋण योजनाः** यह योजना किसानों द्वारा शाखा से लिए गए ऋण के समायोजन के लिए अल्पावधि ऋण अपेक्षा पूरी करती है तथा 12 महीनों की विशिष्ट अवधि के अंतर्गत कृषि उत्पादों के लिए उत्तम मूल्य उपलब्ध कराती है। यह ऋण उन किसानों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने पहले ही पंजाब नैशनल बैंक से फसल ऋण लिया है। योजना के लिए अधिकतम ऋण सीमा 5 लाख रू. है।

(ख) निवेश ऋण

- **लघु सिंचाई वित्तपोड्ढण के लिए योजनाः** भूमि सुधार, पम्पसैंटों की खरीद, खुदाई, गहरी खुदाई, कुओं की मरम्मत, कुओं के बोर, टयूबवैल, सिप्रंकलर सैटों, ड्रिप सिंचाई, सूर्य ऊर्जा पम्पों, पवनचक्कियों, जल टेंकों, खेतों की जलवाहिका बनाना आदि के लिए आसान ऋण। किसान जिसके पास एक एकड़ भूमि है, इस योजना के अंतर्गत पात्र है।
- **कृषि मशीनीकरण योजनाः** कृषि मशीनरी की खरीद एवं ट्रैक्टर तथा पावर टिल्लरों की मरम्मत, नवीकरण और पुराने ट्रैक्टरों की खरीद। ट्रैक्टरों तथा पावर टिल्लरों के लिए किसान या किसानों के समूह जिनके पास साल भर सिंचाई सुविधा युक्त अपनी भूमि है या निरंतर लीज आधार पर 2.5 एकड/1.5 एकड न्यूनतम पट्टे पर भूमि अधिकार है।
- **परिवहन वाहनों की खरीदः** नए ट्रकों की खरीद तथा अन्य नए मोटराइज हल्के/माध्यम वाहन, कृषि निविठियों/उत्पादों के परिवहन के लिए किसानों को दोपहिया वाहन। कोई भी कृषि या सम्बन्द्ध कार्यकलापों में सलंगन किसान, अविभाजित हिन्दू परिवार या व्यक्तियों का समूह, ऋण के पात्र है।
- **वानिकी विकासः** नर्सरियों का विकास, प्लांटेशन और वानिकी पेड़ों को उगाना जिसमें भूमि विकास, प्लांटेशन/ खड्डे की खुदाई बांध बनाने इत्यादि की लागत सम्मिलित है, के लिए ऋण। वे किसान, कंपनियां, राज्य उपक्रम जो भू–स्वामी / पट्टेदारी / निरंतर किरायेदारी के अधिकारी है, ऋण के पात्र हैं।
- **मशरूम खेती के लिए वित्तपोड्ढण योजनाः** लोकप्रिय मशरूम की किस्मों, वाइट बटन, ओयस्टर तथा पैडी–स्ट्रा उत्पादन के लिए सरल वित्तपोड्ढण। व्यक्तियों के लिए तथा मशरूम खेती के लिए र्प्याप्त अनुभव रखने वाले बड़े आकार के यूनिट ऋण के लिए पात्र हैं।
- **बागवानी व बागान फसलों के वित्तपोड्ढण के लिए योजनाः** नई फल वाटिका, बागों की स्थापना और विकास करना। विद्यमान फल वाटिकाओं या बागान का कायाकल्प करना। सब्जियां या फूलों की फसलें उगाने के लिए पैकेजिंग, ग्रेडिंग और क्रेटिंग प्रेड्ढण तथा परिवहन लागत इत्यादि की जरूरतों को पूरा करने के लिए। व्यक्तिगत किसान या किसानों के समूह जिनके पास पर्याप्त अनुभव है और भूमिजोत भी है या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या प्राईवेट फर्म है, इसके लिए पात्र है।
- **किसान वाहन योजनाः** अनुमोदित मेक के टू–वहीलर्स की खरीद के लिए ऋण। एक एकड़ या एक एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान इस योजना के पात्र है। ऋण की राशि आवश्यकता आधाारित है।
- **ग्रीन हाऊस वित्तपोड्ढण के लिए योजनाः** ग्रीन हाऊस का निर्माण, उपकरण/ मशीनरी की खरीद, बीजों की खरीद तथा अन्य आवश्यकताओं, ताकि निर्यात बाजार हेतु उच्च क्वालिटी फसलों का उत्पादन हो। केवल वे प्रगतिशील किसान जो आधुनिक कृषि तकनीकों को पहले से अपना रहे हैं, इसके लिए पात्र हैं। ऋण आवश्यकता आधारित है।
- **भूमि खरीद हेतु वित्तः** 5 लाख रू. की लिमिट के साथ किसानों को भूमि खरीदने के लिए ऋण। इस योजना का उद्देश्य वित्त में ठोस वृद्धि लाना है।

(ग) समबद्ध कार्यकलाप ऋण

- **गाड़ी एवं भार ढोने वाले पशुओं की खरीदः** कृषि परिवहन एवं उत्पादन के लिए भार ढोने वाले पशु गाडी की खरीद हेतु वित्त। भूमि रहित किसान भी इसके अंतर्गत पात्र है, यदि उनका मामला डीआरडीए द्वारा प्रायोजित है।
- **बायों गैंस विकासः** उत्तम गुण वाली खाद तथा ईंधन के लिए बायो गैंस यूनिट की स्थापना हेतु ऋण। वे आवेदक जिनके पास र्प्याप्त संख्या में पशु हो जो प्लां के आकार के अनुसार हो, पात्र हैं।
- **डेरी विकास के लिए वित्तपोषण योजनाः** अच्छी नसल के दुधारू पशुओं की खरीद के लिए, पशुओं के रहने के लिए शैड के निर्माण, डेयरी उपकरण की खरीद इत्यादि के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध है।
- **मुर्गी पालनः** छजजों/शैडों के निर्माण के लिए मुर्गी पालन उपकरणों की खरीद, डे–ओल्ड चिकों, भोजन, दवाइयां इत्यादि की खरीद के लिए। किसान तथा भूमि रहित कृषि श्रमिक जिन्हें मुर्गी–पालन का अनुभव है, इस योजना के अंतर्गत पात्र है।
- **सूअर विकासः** सूअरों के भोजन तथा उनके रहने के लिए जगह, विदेशी नसल के सूअरों, दूध पीने वाले, दूध छोडने वाले सूअरों के बच्चों का भोजन, दवाएं, उपकरण इत्यादि के लिए ऋण। किसान तथा कृषि श्रमिक एवं अन्य उद्यमी इस योजना के लिए पात्र है।
- **भेड–बकरी प्रजनन/पालनः** ऊन, मीट तथा दूध उत्पादन के उेष्श्य से जानी पहचानी भेडों/बकरियों की खरीद, उपकरणों, भोजन, शैडों के निर्माण के लिए ऋण। लघु और सीमांत किसान तथा कृषि श्रमिक जो भेड–बकरी के भोजन/ अन्य सहयक कार्यकलाप करने के इच्छुक है, इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
- **मत्सय विकासः** तालाब, टेंक, नहर के निर्माण के लिए मछलियों के अण्डों और उनके बच्चों की खरीद,मछलियें के बीज, झींगा मछली के बीज, जाल, पेटियों, टोकरियों, रस्सियों, बेलचों, हुकों तथा अन्य सहायक वस्तुओं, प्रथम हार्वेस्ट तक के लिए भोज्य सामग्री की खरीद हेतु वित्त। किसान, व्यक्तियों के समूह जिन्हें इसके बारे में पर्याप्त जानकारी है, इसके अंतर्गत पात्र हैं।
- **मधुमक्खी पालनः** शहद के छत्तों के निर्माण, कोलोनीज की खरीद, उपकरणों जैसे कि बक्सों, शहद निकालने के लिए

मशीन, धुएं तथ मक्खियों के ढकने के लिए आवरण, दस्ताने, आधार शीटें इत्यादि के लिए ऋण। किसान, व्यक्तियों के समूह जिनके पास मधुमक्खी पालन का पर्याप्त अनुभव है, इस योजना के अंतर्गत पात्र है।

(घ) कृषि को अप्रत्यक्ष ऋण

- **कमीशन एजेंटो/आढतियों/डीलरों को कृषि निविष्टियों के लिए तथा पशु चारा आदि के लिए वित्तपोषणः** बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं इत्यादि के वितरण के लिए अनेक प्रदत्त स्टॉक की एवज में एजेंटो /डीलरों को उनके कृषि निविष्टियों तथा खेती के लिए किसानों को सप्लाई बीजों के बही ऋण के विरूद्ध ऋण दिया जा सकता है। व्यक्ति/फर्म/कोऑपरेटिव सोसायटी जो आढतिया/कमीशन एजेण्ट/ डीलर के रूप में कार्य करता हो, इस योजना के अंतर्गत पात्र है।
- **शीत भण्डारण तथा बागवानी उत्पाद भण्डारण के लिए पूंजी निवेश उपदानः** भण्डारण के निर्माण/विस्तार, आधुनिकीकरण तथा बागवानी उत्पाद के लिए ऋण ताकि कटाई बाद नुकसान को कम किया जा सके। कोऑपरेटिव, कारपोरेशन, पार्टनशिप तथा स्वामित्व वाली फर्में इसके लिए पात्र हैं।
- **ग्रामीण गोदामों के लिए वित्तपोषण योजनाः** ग्रामीण क्षेत्रों में स्टोरेज सेवाओं का सृजन फसल की कटाई के बाद फसलों का खराब होना रोकना, किसानों को उनके उत्पादों की बिक्री कम कीमत पर होने में राहत प्रदान कराना। व्यक्तिगत किसान, किसानों के समूह, पार्टनर शिप/स्वामित्व वाली फर्मे, गैंर सरकारी संगठन स्वय सहायता समूह, कोऑपरेटिव कंपनी कारपोरेशन इत्यादि इस योजना के लिए पात्र हैं।

(ङ) किसानों के लाभ हेतु बैंकः एक प्रयास

- **ट्रैक्टर उत्पादकों के साथ टाई–अप व्यवस्थाः** पंजाब नैशनल बैंक ने 12 ट्रैक्टर तथा एक हार्वेस्ट कंबाईन उत्पादक के पास टाई–अप व्यवस्था की है जिसमें 3000/–रू. 15,000/–रू. तक प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है। पंजाब नैशनल बैंक के माध्यम से ट्रैक्टरों की खरीद करने वाले किसान इस योजना के पात्र है।
- **कृषि ऋण प्रस्तावों के विशेष क्षेत्रः** प्रत्येक ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी शाखा को कृषि के अतर्गत विशेष रूप से बागान, बागवानी, मत्स्य पालन, एग्रो–प्रोसैसिंग, मवेशी, सिंचाई इत्यादि के क्षेत्रों में 2 से 3 प्रस्ताव 2–3 लाख रू. की लिमिट को स्वीकृत करना। इसका उद्‌देष्य कृषि के अंतर्गत बैंक के निवेश ऋण में वृद्धि करना है। इसके अलावा पंजाब नैशनल बैंक ने एग्री क्लिनिक की स्थापना के लिए ऋण को संपार्श्विक/बंधक मुक्त रखकर ऋण सीमा में वृद्धि की है ताकि इस प्रकार के क्लिनिकों की स्थापना हेतु युवक प्रोत्साहित हो। इसके अलावा, अन्य, प्रेरक योजना भी प्रक्रियाधीन है जिससे कि ग्रामीण भारत को प्रगतिशील भारत में बदलकर, पुनरूत्थान हुए भारत का गौरवपूर्ण रूप प्रस्तुत होग।
- **कृषक प्रोत्साहन योजनाः** उन ऋणियों के लिए प्रोत्साहन जिन्होंने अपने देयो तथा किश्तों का समय से भुगतान किया है। सभी ऋणी जिन्होंने समय पर ऋण चुकाया है इस योजना के तहत पात्र है।

पंजाब नैशनल बैंकः ग्रामीण विकास गाथा

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बैंक के प्रयासों को निम्नानुसार मान्यता प्राप्त हुई हैः–

- अधिकतम किसान ऋण कार्ड जारी किए जाने पर बैंक को भारतीय बैंक संघ ट्रॉफी प्रदान की गई।
- वर्ष 2012–13 के लिए कृषि ऋणों के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने पर माननीय वित्त मंत्री द्वारा बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का सम्मान किया गया।
- एशिया–पैसिफिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के संघ`न बैंक को ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए व्यवसाय–उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया।
- बैंक ने किसानों को ग्रामीण ऋण आसानी से उपलब्ध कराने के अपने प्रयासों में नए कृषि उत्पादों, यथा–किसान इच्छा पूर्ति योजना, किसान सम्पूर्ण योजना, पीएनबी डेरी का शुभारम्भ किया है।[22]
- कृषि के अंतर्गत वित्तपोषित राशि 24.18 लाख से ज्यादा खातों के जरिए प्रदत्त है। कुल कृषि ऋणकर्ताओं में से 68.52 प्रतिशत छोटे तथा सीमांत किसान है, निका बकाया प्रत्यक्ष कृषि ऋण में हिस्सा 46.77 प्रतिशत है। 30.54 प्रतिशत कृषक ऋणकर्ता अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी से हैं।
- बैंक 35 से ज्यादा योजनायें संचालित कर रहा है जिनमें कृषकों की समस्त आवश्यकताओं की संपूर्ति हो जाती है।
- ऋण संवितरण पर जोर के फलस्वरूप बकाया कृषि ऋण मार्च 2005 में 11661 करोड रूपए से बढकर मार्च 2014 में 28836 करोड रूपए हो गया। यह वृद्धि दर 33.16 प्रतिशत से 38.96 प्रतिशत के बीच रही है।
- कुल कृषि ऋण 28836 करोड रूपए रहे हैं, जो कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण 78436 करोड रूपये का लगभग 40 प्रतिशत है।
- अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन हेतु बैंक ने देश भर में फैले अपने 70 क्षेत्रों में गांव के सम्पूर्ण विकास हेतु प्रत्येक क्षेत्र में एक गांव को अंगीकार किया है।
- बैंक ने वर्ष 1997 में पीएनबी शताब्दी ग्रामीण विकास न्यास तथा वर्ष 2000 में पीएनबी किसान कल्याण न्यास की स्थापना की जिसका प्रमुख उद्‌देश्य किसानों की भलाई हेतु क्रियाकलापों को प्रोत्साहन एवं किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- किसान प्रशिक्षण केन्द्र मध्यप्रदेश में विदिशा तथा राजस्थान में नीमराना में कार्यरत है। इसी प्रकार सैफई, सरहिंद तथा लाभाण्डी में भी ऐसे किसान प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है। कुल मिलाकर 09 किसान प्रशिक्षण केन्द्रों के शीघ्र ही चालू होने की सम्भावना है।
- ग्राम दुधीके, जिला मोगा, पंजाब तथा गावं मटकी झरोली, जिला सहारनपुर स्थित शताब्दी ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रों में ग्रीमण रोजगारोत्पादक, मृदा जांच तथा दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, उन्नत फसल प्रौद्योगिकी, औषधीय, जडी बूंटी, ग्रामीण शिल्प/हस्तकला, कढाई/फुलकारी/सिलाई– बुनाई आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों में किसानों तथा महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

पी.एन.बी.: किसान सम्पूर्ण योजना

प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की बढोतरी एवं प्रोत्रति हेतु पंजाब नैशनल बैक ने एक विशेष फाइनांस बास्केट पैकेज ऋण योजना अर्थात किसान सम्पूर्ण योजना[23] के नाम से तैयार की है जो कि अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और किसानों की वित्त मित्र है। इस योजना के अंतर्गत उन किसानों को ऋण प्रदान किया जाता है जो कि उत्पादन से सम्बद्ध विभिन्न कृषीय तथा सहायक गतिविधियों में लगे हैं तथा प्रोसैसिंग/स्टोरेज/मूल्य वृद्धि के लिए कार्यकलापों पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलोजी पर व्यय के अलावा निवेश उद्‌देश्य तथा किसानों के परिवार के लिए ऋण जरूरतें जैसे कि विवाह, त्यौहार, शिक्षा,

यात्रा इत्यादि के लिए ऋण। किसान जो भी स्वामी, खेतीहर, किरायेदार या आवंटित किसान है जिनके पास दर्ज दखल अधिकार है या पैतृक अथवा चिर उत्तराधिकार की खेती करने वाले किसान, न्यूनतम भूमि जोत वाले व्यक्तिगत किसान या किसानों का समूह जिसके/जिनके पास योग्य/पर्याप्त अनुभव है, यदि सम्बद्ध कृषि क्रेडिट योजना में निर्धारित है।

ऋण सीमाः आवश्यकता आधारित। किसानो की उपभोग ऋण अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु उत्पादन और निवेश उद्देश्यों के लिए विभिन्न कृषीय कार्यकलापों पर कुल अपेक्षा पर लिमिट है। किसान की सभी कृषीय कार्यकलापों की रूपरेखा के आधार पर ऋण सीमा निश्चित की जाती है। उपभोक्ता ऋण 50,000/– रू. या कुल सीमा का 25 प्रतिशत जो भी कम हो, दिया जा सकता है।

मार्जिनः 2 लाख रू. तक शून्य, 2 लाख रू. से अधिक 5 लाख रू. तक 10प्रतिशत, 5 लाख रू. से अधिक 25 प्रतिशत जहां सब्सिडी उपलब्ध हो, उसे मार्जिन माना जाए और जब तक अपेक्षित मार्जिन से सब्सिडी कम न पड जाये, तब तक और मार्जिन मनी निश्चित नहीं की जाए।

पी.एन.बी.: किसान इच्छा पूर्ति योजना

किसानों के परिवार की समग्र आवश्यकताएं पूरी करना इस योजना का उद्देश्य है। वर्तमान ऋणी जिनके पास र्प्याप्त कृषि भूमि है एवं जिनका पिछले तीन वर्षो से एन.पी.ए. रिकार्ड नहीं है[24], इस योजना के तहत पात्र हैं। ऋण राशि के 200 प्रतिशत मूल्य की बंधक भूमि की संपार्श्विक प्रतिभूति आवश्यक है।

ऋण सीमा निम्नानुसार जो भी कम होः– (i) ऋणी की कृषि तथा सहायक कार्यकलापों से 5 गुणा वार्षिक औसत आय (ii), बंधक भूमि के मूल्य का 50 प्रतिशत। अधिकतम सीमा 10 लाख रू. (i) उत्पादक उद्देश्य के लिए सीमा का कम से कम 7 प्रतिशत या 7 लाख रू. (ii) सीमा के 20 प्रतिशत तक का ग्रामीण आवास या 2 लाख रू. जो भी कम हो। (iii) सीमा का अधिकतम 3 प्रतिशत उपभोक्ता ऋण या 3 लाख रू. जो भी कम हो।

आवास ऋण पर ब्याज दर समय–समय पर रिटेल बैंकिग योजना के अतंर्गत लागू अनुसार रहेगी। कृषि अग्रिमों के लिए ब्याज दर ऋण एवं अग्रिम परिपत्रों के अनुसार चार्ज की जायेगी। समग्र नकदी ऋण सीमा नकद वितरित की जाएगी। जिसके लिए कोई बिल/रसीद की अपेक्षा नहीं रहेगी।

पी. एन. बी. : स्वयं सहायता समूह माइक्रो क्रेडिट

गरीब से गरीब लोगों में बचत की आदतें उत्पन्न करने के, गरीबों को संगठित करने और क्रेडिट लिंकेज के द्वारा उन्हें सुदृढ़ बनाने, भरण–पोषण आधार पर उन्हें गरीबी से ऊपर उठाने की एक नवोन्मेष संकल्पना स्वय सहायता समूह है।[25]

स्वयं सहायता समूह के सदस्य निम्न कार्य करते हैं[26]:–

- विचार–विमर्श कर स्वयं सहायता समूह के सदस्य एक–दूसरे की समस्याएं हल करते है।
- अपनी बचत को इकट्ठा कर छोटे ऋणों के लिए ब्याज पर देते हैं।
- धन के लिए शर्तों को सीखते हैं तथा लेखा–जोखा रखते हैं।
- वित्तीय अनुशासन को धीरे–धीरे आत्मसाथी बनाना।
- अन्य की जरूरतों को समझना तथा उनकी अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना।
- महसूस करना कि साधन सीमित है तथा मूल्यवान हैं।
- ऋण का उचित उपयोग तथा उसकी चुनौती को सुनिश्चित करना।
- निधि के प्राप्य की ओर अग्रसर होने हेतु परिपक्व वित्तीय व्यवहार के माध्यम से औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में विश्वास हासिल करना।
- स्वाभिमान तथा सामाजिक अधिकार की ओर अग्रसर होने हेतु अन्य लोगों के साथ अर्थपूर्ण ढंग से बातचीत करना सीखना।

पंजाब नैशनल बैंक हमेशा की तरह अपनी पुरानी प्रतिबद्धता तथा दृढ निश्चय के साथ ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास लाने हेतु अग्रणी रहा है। फील्ड में कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत उनके कार्यनिष्पादन में तेजी हेतु पंजाब नैशनल बैंक के द्वारा स्वयं सहायता समूह पुरस्कार योजना भी शुरू की गई है। सूचना एवं स्वयं सहायता समूह की लिंकेज में फील्ड में कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रत्यक्ष या मध्यसीं जैसा कि एन.जी.ओ. सरकारी एजेंसी इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने पर अधिक से अधिक बल दिया जा रहा है।

निष्कर्षः

निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि पंजाब नैशनल बैंक का लक्ष्य उत्कृष्ट व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करना और वित्तीय एवं संबद्ध सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी बने रहने के लिए अपनी स्थिति में सुधार लाना, उच्च कार्य–प्रकृति से अभिप्रेरित एवं प्रतिबद्ध कार्यबल तैयार करना, ग्राहकों को संतोषप्रद सेवा प्रदान करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए प्रभावी प्रेरक के रूप में कार्य करना है।[27] पंजाब नैशनल बैंक की एक ऐसी दूरदृष्टि सोच है जो बैंक को ऐसी विश्व–स्तरीय प्रगतिशील, लागत प्रभावी और ग्राहक–मित्र संस्था के रूप में विकसित एवं स्थापित करे जो व्यापक वित्तीय और संबद्ध सेवाएं प्रदान करते हुए, प्रौद्योगिकी सीमाओं को जोड़े और समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों की सेवा करे और वह जनता की उत्कृष्ट सेवा तथा श्रेष्ठ निगमित मूल्यों के प्रति वचनबद्ध हो।

सन्दर्भ सूची

1. सिंह, कन्हैया, ''साख नीति– ग्रामीण व औद्योगिक'' हिमालया पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली, 2013, पृ.सं. 26
2. प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, आगरा, जनवरी, 2004, पृ. सं. 306
3. प्रतियोगिता दर्पण, ''भारत में ग्रामीण विकास के प्रयास'' उपकार प्रकाशन, आगरा, जनवरी, 2005, पृ.सं.1054
4. शर्मा, विवेक, ''बैंकिंग प्रबन्ध'' अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2012, पृ.सं.37
5. वही, पृ.सं.38
6. मिश्र एवं पूरी, ''भारतीय अर्थ व्यवस्था'' हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, 2013, पृ.सं.246
7. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया रिपोर्ट, 2007–12
8. गर्ग, राजीव, झा, अवधेश, झा, किरण, झा, अमरेश, ''स्पेक्ट्रम'' स्पेक्ट्रम बुक्स प्रा0लि0 नई दिल्ली, 2012, पृ.सं. 117–18
9. माथुर, रीता, ''बैंकिंग प्रणाली'' अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2012 पृ.सं.1
10. वही, पृ.सं.2
11. शर्मा, विवेक, पूर्वोक्त, पृ.सं.2
12. माथुर, रीता, पूर्वोक्त, पृ.सं.3
13. शर्मा, विवेक, पूर्वोक्त, पृ.सं.28
14. दि इकोनोमिक्स टाईमस्, सितम्बर 12, 2012, पृ.सं.2
15. माथुर, रीता, ''बैंकिंग प्रणाली'' अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई

दिल्ली, 2012 पृ.सं.6

16. पंजाब केसरी, सितम्बर 14, 2007
17. http://demo83.sify.net/pnbhindi/scripts/quality..aspx
18. http://demo83.sify.net/pnbhindi/scripts/Heritage.aspx
19. कल के बैंकिग स्तर को आज पाने के लिए पीएनबी पर भरोसा करें, प्र.का. मार्किटिंग, रिटेल बैंकिंग प्रभाग, प्रधान कार्यालय, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली।
20. वही
21. कृषि क्षेत्र के बहुमुखी विकास हेतु प्रतिबद्ध, प्रधान कार्यालय, 7 भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
22. सिंह कन्हैया, ''साख नीति– ग्रामीण व औद्योगिक'' हिमालया पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली, 2013, पृ.सं. 26
23. कृषि क्षेत्र के बहुमुखी विकास हेतु प्रतिबद्ध, पूर्वाक्त।
24. वही
25. प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, आगरा, जनवरी, 2005, पृ. सं. 403
26. कृषि क्षेत्र के बहुमुखी विकास हेतु प्रतिबद्ध, पूर्वाक्त।
27. http://demo83.sifynet/pnbhindi/scripts/mission, aspx